आक्रोश | सांदीपनी विद्यालय घुघरी का मामला, छात्राओं ने खोला मोर्चा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी

अतिथि शिक्षक की 'अमर्यादित' टिप्पणी पर हंगामा

घुघरी, नवभारत। जिले के शासकीय सांदीपनी विद्यालय घुघरी में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पदस्थ एक अतिथि शिक्षक पर कक्षा 10वीं की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना से आक्रोशित छात्राओं ने विद्यालय के प्राचार्य को लिखित शिकायती पत्र सौंपकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विद्यालय में पदस्त अतिथि शिक्षक बिजेंद्र झारिया पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा 10वीं की छात्राओं के प्रति अत्यंत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। शिकायत पत्र में छात्रा ने उल्लेख किया है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने उसे जलील किया, जिससे उसकी गरिमा को गहरी ठेस पहुंची है। इस शिकायत का समर्थन कक्षा की अन्य छात्राओं ने भी अपने हस्ताक्षर करके किया है।

हटाया जाएगा आरोपी शिक्षक : आयुक्त

इस संवेदनशील मामले पर सहायक आयुक्त वंदना गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए कहा कि, 'मुझे इस संबंध में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन अब प्राचार्य के माध्यम से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसे आरोपी अतिथि शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें तत्काल प्रभाव से विद्यालय से हटाया जाएगा।

राजनीतिक आक्रोश: लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष कमलेश तेकाम ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा मैंने पूर्व में ही अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन क्षेत्रीय संयोजक मंडला विष्णु सिंगोर जैसे लोगों की लापरवाही के कारण इन्हें संरक्षण मिल रहा है। बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को शह देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि इस शिक्षक को तुरंत नहीं हटाया गया, तो हम स्वयं आगे बढ़कर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।

छात्राओं में डर के साथ फैला आक्रोश

छात्राओं का कहना है कि स्कूल में सुरक्षित महसूस करना उनका अधिकार है, लेकिन शिक्षक के इस प्रकार के व्यवहार से वे मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितनी जल्दी और कितनी ठोस कार्रवाई करता है एवं आरोपी अतिथि शिक्षक को कब तक हटाएगी

> **इनका कहना है**
> मैंने आयुक्त मैडम से इस पूरे मामले में बात की है और कहा है कि ऐसे आरोपी शिक्षक को जल्द से जल्द हटाया जावे जो शिक्षा को शर्मसार कर रहे हैं।
> **संजय कुशराम, जिला पंचायत अध्यक्ष मंडला**

कुरीतियों के खिलाफ एकजुट हुआ समाज

ग्रामीणों ने ली बाल विवाह रोकने की शपथ, हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी

नैनपुर। जिले में चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर द्वारा नैनपुर क्षेत्र में बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम एवं रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक करते हुए विभिन्न आपातकालीन सुरक्षा नंबरों की जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक प्रेरणा मर्सकोले ने उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय सहयोग करने की शपथ दिलाई।

कानूनी सहायता और हेल्पलाइन की दी जानकारी

कार्यक्रम में सुरक्षा के प्रति सचेत करते हुए महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और डायल 112 जैसे महत्वपूर्ण नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला की पीएलवी शिखा श्रीवास्तव ने टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे जरूरतमंद लोग मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, वर्तमान में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उन्होंने दुपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी।

नारायणगंज में पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट ईंधन की बिक्री बंद

कलेक्टर का आदेश, सुरक्षा को दी जा रही प्राथमिकता

नारायणगंज. जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। इसी क्रम में नारायणगंज नगर के टिकरिया रोड स्थित हरि जानकी पेट्रोल पंप पर अब बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देना पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी, दोनों के लिए मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आदेश के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि हेलमेट न पहनने वाले चालकों को ईंधन प्रदाय न किया जाए।

स्टाफ दे रहा समझाइश

हरि जानकी पेट्रोल पंप के प्रबंधन और स्टाफ द्वारा इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पेट्रोल लेने पहुंच रहे बिना हेलमेट वाले चालकों को स्टाफ द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है और उन्हें पहले अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करने की समझाइश दी जा रही है। प्रशासन की इस पहल से जहां एक ओर वाहन चालकों में शुरुआती झिझक देखी गई, वहीं दूसरी ओर जागरूक नागरिकों ने इसे जीवन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम बताया है।

शिक्षा अधिकारी की अनूठी पहल से होगा शिक्षकों की समस्या का समाधान

नारायणगंज। बीते दिवस जन शिक्षा केंद्र माने गांव में शिक्षकों की समस्या का निवारण शिविर राजेश विश्वकर्मा विकासखंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्री विश्वकर्मा द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई उसके पश्चात सभी शिक्षकों द्वारा विश्वकर्मा जी का पुष्पहार एवं तिलक से स्वागत किया गया।

इस मौके पर शिक्षकों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं का आवेदन विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा, जिसमें गुरु जी का एरियर प्रान किट की समस्या सहित अन्य समस्याएं थी विश्वकर्मा जी के द्वारा सुनी गई। उन्होंने शिक्षकों को अस्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण कर दिया जाएगा ।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्राचार्य अंग्रेज सिंह उइके, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी नरेश सैयाम, वरिष्ठ शिक्षक उजियार सिंह मसराम, जन शिक्षक सुभाष कुमार साहू, सुखिया नरते, अनीता मरावी, सारिका पटेल, संध्या मिश्रा, बृजलाल मरावी, स्वदेश साहू, मनोज सर्वेटे, कस्तूरचंद बर्मन, रविंद्र उईके, तोकाराम झरिया, पुष्पेंद्र गौतम, गोपाल मरावी, भगवत मरावी, रामकिशोर तिलसिया, रितेश उईके, हरिशंकर बंजारे, सहदेव मरकाम, रामकुमार नरते, सुरेश पाटले, कृष्ण गोपाल मिश्रा एवं जन शिक्षक सहदेव सिंह मरावी के साथ अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस मौके पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी की इस पहल का सभी ने स्वागत किया। उसके पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया।

अमगंवा गौशाला को नियम विरुद्ध खाली करने पर भड़का आक्रोश

विहिप और बजरंग दल ने कलेक्टर और पशुपालन मंत्री को सौंपा ज्ञापन

निवास। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला गौ रक्षा विभाग ने कलेक्टर और पशुपालन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर ग्राम अमगंवा बिझौली स्थित गौशाला में हो रही भारी अनियमितताओं और गौ-वंश की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

बताया गया कि वर्ष 2018 में मनरेगा योजना के अंतर्गत लगभग 27 लाख रुपये की लागत से इस गौशाला का निर्माण हुआ था, जिसका संचालन ग्राम पंचायत अमगंवा द्वारा किया जा रहा है। आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से गौशाला में गौ-वंश को न तो पर्याप्त चारा-भूसा दिया जा रहा है और न ही पानी की समुचित व्यवस्था है, जिसके कारण गायों की लगातार मौत हो रही है। विहिप कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगभग 8 माह पूर्व गौशाला में गौ-वंश की संख्या 113 थी, जो अब घटकर मात्र 45 रह गई है । शेष गौ-वंश की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच का विषय है ।

गौशाला में सुधार का दिया था आश्वासन

बताया गया कि गौशाला की बदहाली के विरोध में स्थानीय निवासी अनिल महाराज बाबा ने 9 से 12 दिसंबर 2025 तक आमरण अनशन और चक्का जाम किया था। तब अधिकारियों ने 15 दिनों में सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन आरोप है कि मामले को दबाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत ने रातों-रात नियमों के विरुद्ध गौ-वंश को वाहनों में भरकर दूसरी गौशालाओं में स्थानांतरित कर दिया और परिसर खाली कर दिया।

वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप

संगठन ने मांग की है कि गौ-संवर्धन मद अंतर्गत पंचायत को प्राप्त होने वाली लाखों की राशि की विस्तृत वित्तीय जांच की जाए । यह भी जांच का विषय है कि जब प्रति गाय 40 रूपए की दर से प्रतिमाह लाखों रूपए की राशि मिल रही थी, तो गौ-वंश भूख और प्यास से क्यों मरता रहा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला गौ-रक्षा प्रमुख रेनू कछवाहा, विहिप प्रांत कार्यकारणी अरविंद पाण्डेय, निलेश सिंगरौरे, रोहित झारिया, अंबिका प्रसाद, बाबा अनिल पटेल, गोपाल, हिमांशु ठाकुर, अनिल पटेल, मनीष समेत ग्रामवासी शामिल रहे, जिन्होंने दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है ।

उत्तम सिंह और पुशु लाल का हुआ स्थानांतरण

विदाई समारोह में शॉल और स्मृति-चिन्ह भेंट कर विदा किए गए पुलिस विभाग के कर्मठ साथी

अंजनिया। चौकी अंजनिया में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले दो प्रधान आरक्षकों के स्थानांतरण होने पर चौकी प्रांगण में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधान आरक्षक उत्तम सिंह गोठारिया का स्थानांतरण चौकी हिरदेनगर तथा प्रधान आरक्षक पुशु लाल पंचेश्वर का स्थानांतरण थाना निवास के लिए हुआ है।

चौकी प्रभारी अंजनिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त पुलिस स्टाफ ने दोनों प्रधान आरक्षकों के कार्यकाल की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान दोनों ही कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और जनसेवा के प्रति सदैव समर्पित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।

चौकी प्रभारी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तम सिंह और पुशु लाल ने अपनी कार्यकुशलता और ईमानदार सेवाभाव से चौकी के कार्यों को मजबूती प्रदान की। विषम परिस्थितियों में भी उनकी निष्ठा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी रही। उनके मधुर व्यवहार ने क्षेत्र में पुलिस की एक सकारात्मक और मित्रवत छवि प्रस्तुत की है। समारोह के अंत में दोनों प्रधान आरक्षकों को शॉल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित सहकर्मियों ने उन्हें नई पदस्थापना के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

विशेषज्ञों ने किसानों को सिखाए प्राकृतिक खेती और पशुपालन के गुर

आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सजी चौपाल

भुआ बिछिया। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) परियोजना के अंतर्गत विकासखंड बिछिया की ग्राम पंचायत कांसखेड़ा में एक दिवसीय कृषक संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना में पंजीकृत किसानों के लिए आयोजित इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बचाना और रसायनों के दुष्प्रभावों को कम कर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना रहा।

संगोष्ठी के दौरान कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने किसानों को रसायन मुक्त खेती के लाभ समझाए। विशेषज्ञों ने उन्नत कृषि तकनीकों, कृषि में विविधीकरण (फसल चक्र) और कृषि विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उद्यानिकी और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भी प्राकृतिक खेती के साथ-साथ फलों-सब्जियों की खेती और पशुपालन के अंतर्संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पारुल पांडे सभापति, कृषि स्थाई समिति बिछिया एवं बाबूलाल कुशराम जनपद सदस्य बिछिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत कांसखेड़ा की सरपंच श्रीमती बीना आर्मो द्वारा की गई। अतिथियों ने किसानों को संबोधित करते हुए पारंपरिक खेती को लाभ का धंधा बनाने हेतु आधुनिक और प्राकृतिक तरीकों को अपनाने का आह्वान किया।

विभागीय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन-इस अवसर पर उप परियोजना संचालक (आत्मा) श्रीमती अंजू कोडापे, सहायक संचालक अरविंद कुमार वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुकेश कुमार कुलस्ते और विकासखंड तकनीकी प्रबंधक डॉ. ओमवीर सिंह रघुवंशी सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इसके साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल उद्दे और उद्यान विस्तार अधिकारी श्रीमती स्वर्णा भंषोड ने भी किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में क्षेत्र के उन्नत कृषक और विभाग का तकनीकी अमला शामिल रहा।

रेल एवं रोड कनेक्टिविटी से बदलेगी तस्वीर

रेल एक्टिविस्ट ने पूर्व सांसद के साथ तैयार किया पूरे जिले का मास्टर प्लान

नैनपुर। जिले के विकास की धुरी माने जाने वाले रेल और सड़क मार्ग के कायाकल्प के लिए अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रेल एक्टिविस्ट अथर्व सिंह ने पिछले 6 वर्षों के शोध और आंकड़ों के आधार पर मंडला सहित संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। हाल ही में उन्होंने पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के साथ बैठक कर मंडला फोर्ट स्टेशन के विस्तार और जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों को 4-लेन में बदलने का प्रस्ताव रखा।

बताया गया कि प्रस्ताव में मंडला फोर्ट को एक पूर्ण विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। मुख्य मांगों में अतिरिक्त लूप लाइन, रैक पॉइंट का स्थानांतरण कर प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 का निर्माण और ट्रेनों के रखरखाव के लिए तकनीकी अमले की स्थापना शामिल है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि यदि इन रेल और सड़क परियोजनाओं पर अमल होता है, तो पूरा जिला न केवल पर्यटन कान्हा नेशनल पार्क बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी महाकौशल का केंद्र बन जाएगा। बताया गया कि जिले में रेल विकास कार्य के लिए प्रमुख ट्रेनों के विस्तार का प्रस्ताव है। जिसमें पेंचवेली एक्सप्रेस में नैनपुर में 11 घंटे खड़ी रहने वाली इस ट्रेन का विस्तार मंडला तक हो। पातालकोट एक्सप्रेस के लिए सिवनी से मंडला फोर्ट तक विस्तार, पैसेंजर ट्रेन के लिए जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर का रात्रिकालीन विस्तार मंडला तक और मंडला-नैनपुर के बीच प्रतिदिन 4-5 फेरे लगाने का प्रस्ताव, इसके साथ ही नई ट्रेनों में मंडला से नागपुर-पुणे-बैंगलोर के लिए कान्हा एक्सप्रेस और भोपाल-इंदौर के लिए नर्मदा महाकाल एक्सप्रेस की मांग की गई है।

नई रेल परियोजनाओं पर दिया जोर

बताया गया कि 2012-13 से लंबित कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया गया है। जिसमें गोटेगांव, घंसौर, मंडला, डिंडोरी, अमरकंटक 260 किमी इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। इसके साथ ही राजनांदगांव, कवर्धा, मंडला, जबलपुर 430 किमी बजट में स्वीकृत इस परियोजना से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

महाकौशल का बन सकता है केन्द्र

यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिले के मुख्य मार्गों को फोर लेन हाईवे में बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें मंडला लखनादौन एसएच 40 इसे 4-लेन हाईवे बनाकर एनएच 34 और एनएच 44 से जोड़ा जाए। इसके साथ ही एनएच 543 का विस्तार किया जाए, जिसमें शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, गोंदिया मार्ग को 563 किमी लंबे फोर लेन हाईवे में विकसित करना आवश्यक है। एनएच 30 पर अंजनियां बाईपास में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है।

पुलिस ने 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार

उमरिया। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सेमरा-सेमरी रोड स्थित उर्दना तिराहा के पास की गई, जहां एक पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक पशुओं का अवैध परिवहन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में अनुराग, चन्द्रभान एवं हानिफ जायसवाल शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 भैंस, 2 पडा लगभग 70 हजार सहित पिकअप वाहन जब्त किया है।

न्यायालय तहसीलदार नैनपुर जिला मण्डला
क्रमांक / तह./ प्रवा./ 2026 /
मण्डला दिनांक :- 02/02/2026

// इश्तहार // प्र.क्र. 336 (अ-20(3)2025/26

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम जामगांव तहसील नैनुपर जिला मण्डला को सूचित किया जाता है, कि ग्राम जामगांव प.ह.नं. 43 रा.नि.मं. नैनपुर में स्थित भूमि ख.नं. 824 रकबा क्रमशः 0460. हे० भूमि राजस्व अभिलेखों में मद घास दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि को आवेदक विभाग / संस्था MPPKVVCL के द्वारा भूमि आवंटन की मांग हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् कलेक्टर महो. मण्डला के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अतः एतद द्वारा इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 10/02/2026 को दिन के 11.00 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावे / आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

तहसीलदार
नैनपुर